Title: Reference regarding Anniversary of terrorist attack on Parliament House on 13th December, 2001.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 वर्ष पूर्व 13 दिसंबर 2001 को हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के गौरव भारत की संसद को एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का निशाना बनाया गया था। इस हमले को संसद परिसर में डयुटी पर तैनात हमारे बहादुर एवं सतर्क सुरक्षाबलों ने असफल कर दिया था। दिल्ली पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मी सर्वश्री नानकचंद, रामपाल, ओमप्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक महिला कांस्टेबल श्रीमती कमलेश कुमारी और संसद सुरक्षा सेवा के दो सुरक्षा सहायक सर्वश्री जगदीश प्रसाद यादव और मातबर सिंह नेगी इस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए शहीद हो गए थे। इस आतंकवादी हमले में एक कर्मचारी श्री देशराज भी मारे गए थे।

यह सभा 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले के दौरान संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजिल अर्पित करती है तथा उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। आइए इस अवसर पर, हम सभी प्रकार के आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए नए सिरे से प्रयास करने के अपने संकल्प को दोहराएं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अपनी वचनबद्धता को दृढ़ता से व्यक्त करें। अब यह सभा इस अवसर पर शहीदों की पुण्यस्मृति में कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

11.02 hrs.

The Members then stood in silence for short while.

HON. SPEAKER: Question Hour.

…(<u>व्यवधान</u>)

HON. SPEAKER: There is no rule for suspension of Question Hour.

Q.No.281.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : रोज़-रोज़ ऐसा नहीं होता है।

…(<u>व्यवधान</u>)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I have given a notice of Adjournment Motion....(Interruptions)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Madam, what is your ruling on the Adjournment Motion?...(Interruptions)

HON. SPEAKER: There is no suspension of Question Hour. There is no rule.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Suspension of Question Hour and Adjournment Motion from Shri Kaushalendra Kumar and Shri Venugopal. The matters, though important enough, do not warrant interruption of business of the day. The matters can be raised through other opportunities. I have, therefore, disallowed the notices of Adjournment Motion. Under Rule there is no suspension of Question Hour also. So, I am disallowing it.

...(Interruptions)

11. 25 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Twenty Five Minutes past Eleven of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)